राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141-2227884, ई-मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.4(59)पराविं / पीसी / ग्रा.प.भवन / 2015 / 241 2013 जयपुर,दिनांक 21.07.2016

ज़िला कलेक्टर
जिला अजमेर, अलवर, बांरा, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा, भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जालोर, जैसलमेर, झुंझुंनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, स0माधोपुर, करौली, सीकर, सिरोही, प्रतापगढ एवं उदयपुर।
(हनुमानगढ, कोटा, झालावाड एवं टोंक को छोड कर)

विषय :- नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत।
संदर्भ :- शासन सचिव, पंराज तथा शासन सचिव, ग्रावि के संयुक्त हस्ताक्षरो से जारी विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक 2452 दिनांक 28.12.15

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, जिसके द्वारा नव सृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की स्वीकृति विभागीय योजनाओं से जारी करने हेतु दिनांक 31.1.16 तक कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस क्रम में जिलों से अपेक्षित कार्यवाही का अभाव रहा है। विभागीय स्तर पर हुई चर्चा अनुसार नव सृजित ग्राम पंचायतो के भवन निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से कराने का निर्णय लिया गया है।

विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भवन का मॉडल मानचित्र निर्धारित किया गया है जिसमे मॉडल मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित भवन में पंचायत भवन के साथ-साथ अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र, से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए भी स्थान प्रस्तावित किया गया है। इस मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने पर 50 लाख रूपये का अनुमानित व्यय माना गया है। इन पंचायतों में अभी कृषि पर्यवेक्षक आदि के पद सृजित नहीं हुये है। अतः इनके लिए प्रस्तावित स्थल के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चरण में मॉडल मानचित्र में से पंचायत भवन कार्यालय (4 कमरे (सरंपच कक्ष, सचिव कक्ष, कनिष्ठ लिपिक कक्ष एवं ई मित्र), शौचालय, मिटिंग हॉल, प्रवेश लॉबी एवं बरामदा) का निर्माण प्रथम चरण में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे संलग्न मानचित्र में हेच कर दर्शाया गया है। द्वितीय चरण में अन्य योजनाओं से राशि की उपलब्धता एवं भवन की आवश्यकता होने पर इसी भवन को और विस्तारित करते हुये पूर्ण भवन बनाया जा सकेगा। प्रथम चरण में प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र को है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि

1. नव सृजित ग्राम पंचायतो के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की महात्मा गांधी नरेगा योजना से लगभग 30 लाख रूपये की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जावे। इन कार्यों के सम्पादन में महात्मा गांधी नरेगा योजना के

विभिन्न प्रावधानों को पूर्ण रूप से पालना की जानी होगी। आवश्यक होने पर कार्यों को पूरक कार्य योजना में शामील किया जा सकता है।

2. निर्माण कार्य की प्रशासनीक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने की कार्यवाही 15 अगस्त 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुये अगस्त 2016 से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करावे।
3. अन्य विभागीय योजनाओ यथा यथा राज्य वित्त आयोग, विधायक कोष, डांग, मगरा, मेवात, योजनाओ से राशि उपलब्ध होने की स्थिति में कनवर्जेन्स करते हुये निर्माण कार्य कराया जाना उचित होगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है। अतः वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 में इन योजनाओं में उपलब्ध राशि से भी कनवर्जेन्स का प्रावधान किया जा सकता है।
4. विद्यालयों के समानीकरण के क्रम में कतिपय विद्यालय भवन खाली हुये है। अतः ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विद्यालय भवन उपलब्ध होने की स्थिति में नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी एवं इसी परिसर से ग्राम पंचायत कार्यालय का संचालन किया जाना उचित होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये नव सृजित ग्राम पंचायतों की प्रगति संलग्न प्रारूप में ई मेल (rajpr.sep@rajasthan.gov.in) पर साप्ताहिक रूप से भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18.7.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय,ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबधित।
7. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबधित।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

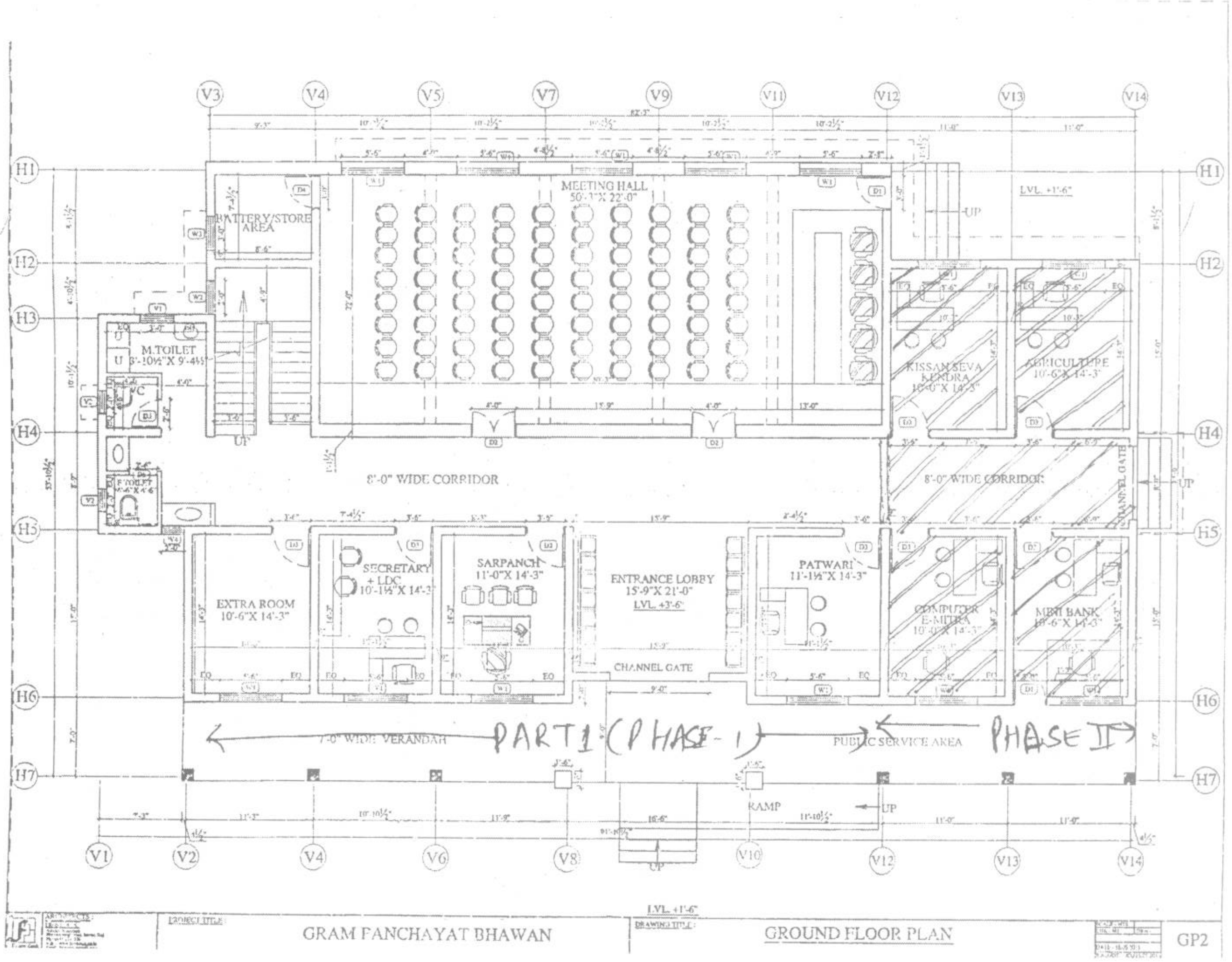

MEETING HALL
50'-3"X 22'-0"
BATTERY/STORE AREA
M.TOILET
F.TOILET
KISSAN SEVA KENDRA
10'-0"X 14'-3"
AGRICULTURE
10'-6"X 14'-3"
8'-0" WIDE CORRIDOR
8'-0" WIDE CORRIDOR
CHANNEL GATE
EXTRA ROOM
10'-6"X 14'-3"
SECRETARY + LDC
10'-1½"X 14'-3"
SARPANCH
11'-0"X 14'-3"
ENTRANCE LOBBY
15'-9"X 21'-0"
LVL. +3'-6"
CHANNEL GATE
PATWARI
11'-1½"X 14'-3"
COMPUTER E-MITRA
10'-0"X 14'-3"
MBH BANK
10'-6"X 14'-3"
7'-0" WIDE VERANDAH
PART 1 (PHASE-1)
PUBLIC SERVICE AREA
PHASE II
RAMP
UP
LVL. +1'-6"
LVL. +1'-6"
GRAM PANCHAYAT BHAWAN
GROUND FLOOR PLAN
GP2